भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 4091

25/03/2025 को उत्तरार्थ

विषय: पश्चिम बंगाल में कृषि उत्पादकता

4091. श्री जगन्नाथ सरकार:

क्या **कृषि और किसान कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पश्चिम बंगाल में कृषि उत्पादकता की वर्तमान स्थिति क्या है और राज्य की अर्थव्यवस्था में कौन-कौन सी प्रमुख फसलें योगदान दे रही हैं;

(ख) किसानों की सहायता के लिए ऋण की सुविधा, कृषि की आधुनिक तकनीकों और सिंचाई सुविधाओं सहित क्या पहलें की गई हैं;

(ग) कृषि समुदायों में अवसंरचना, शिक्षा और स्वास्थ्य परिचर्चा में सुधार लाने के उद्देश्य से चल रहे ग्रामीण विकास कार्यक्रमों में कितनी प्रगति हुई है; और

(घ) सतत कृषि पद्धतियों को सुनिश्चित करने तथा जलवायु परिवर्तन और कीट प्रबंधन जैसी चुनौतियों का सामना करने के लिए क्या उपाए किए जा रहे हैं?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क): पश्चिम बंगाल में कृषि उत्पादकता की वर्तमान स्थिति और राज्य की अर्थव्यवस्था में योगदान देने वाली प्रमुख फसलों का विवरण अनुबंध में दिया गया है।

(ख): भारत सरकार द्वारा किसानों की सहायता के लिए ऋण, आधुनिक कृषि तकनीक और सिंचाई सुविधाओं तक पहुँच सहित निम्नलिखित पहल की गई हैं:

1. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं पोषण मिशन (एनएफएसएनएम)
2. राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन (एनएमईओ)-ऑयल पाम
3. राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन (एनएमईओ)-तिलहन
4. राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन (एनएमएसए)
5. राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन (एनएमएनएफ)
6. परम्परागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई)
7. मृदा स्वास्थ्य एवं उर्वरता (एसएचएंडएफ)
8. वर्षा सिंचित क्षेत्र विकास (आरएडी)
9. कृषि वानिकी
10. फसल विविधीकरण कार्यक्रम (सीडीपी)
11. कृषि विस्तार उप-मिशन (एसएमएई)
12. बीज एवं रोपण सामग्री उप-मिशन (एसएमएसपी)

13. एकीकृत बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच)
14. राष्ट्रीय बांस मिशन
15. राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन एवं शहद मिशन (एनबीएचएम)
16. पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए जैविक मूल्य श्रृंखला विकास मिशन
17. पर ड्रॉप मोर क्रॉप (पीडीएमसी)
18. एकीकृत कृषि विपणन योजना (आईएसएएम)
19. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान)
20. प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना (पीएम-केएमवाई)
21. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई)/पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना (आरडब्ल्यूबीसीआईएस)
22. प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम-आशा)
23. संशोधित ब्याज छूट योजना (एमआईएसएस)
24. कृषि अवसंरचना निधि (एआईएफ)
25. 10,000 नए किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) का गठन और संवर्धन
26. नमो ड्रोन दीदी
27. स्टार्ट-अप और ग्रामीण उद्यमों के लिए कृषि निधि (एग्रीश्योर)
28. कृषि मशीनीकरण पर उप-मिशन (एसएमएएम)
29. डिजिटल कृषि मिशन

(ग): ग्रामीण विकास मंत्रालय (एमओआरडी) ने देश के ग्रामीण क्षेत्रों में अपने कार्यक्रमों के माध्यम से आजीविका के अवसरों को बढ़ाने, इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास, सामाजिक सुरक्षा तंत्र प्रदान करने, ग्रामीण युवाओं को कौशल प्रदान करने आदि पर बल देते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के आर्थिक विकास में सुधार करने हेतु बहुआयामी कार्यनीति अपनाई है। इस संबंध में, सरकार महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस), प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाईजी), प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई), दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम), दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना (डीडीयूजीकेवाई), ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरएसईटीआई) और राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई) के वाटरशेड विकास घटक (डब्ल्यूडीसी) जैसे कई लक्षित कार्यक्रमों को कार्यान्वित कर रही है।

ग्रामीण क्षेत्रों सहित देश में प्राथमिक शिक्षा की सुविधा के लिए, शिक्षा मंत्रालय वर्ष 2018-19 से विद्यालयीन शिक्षा के लिए एक एकीकृत योजना - समग्र शिक्षा को लागू कर रहा है, जो प्री-स्कूल से कक्षा XII तक विस्तारित स्कूली शिक्षा क्षेत्र के लिए एक व्यापक कार्यक्रम है और इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों सहित पूरे देश में समावेशी और समान गुणवत्ता वाली शिक्षा सुनिश्चित करना है।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (एमओएचएंडएफडब्ल्यू) के राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को सुनिश्चित करने के लिए, बेहतर स्वास्थ्य इन्फ्रास्ट्रक्चर, स्वास्थ्य सुविधाओं में पर्याप्त मानव संसाधन, बेहतर उपलब्धता और विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में वंचित और सीमांत समूहों के लिए गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देख-रेख तक पहुंच प्रदान करने में राज्य सरकार का समर्थन करके सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज की दिशा में कदम उठाए गए हैं।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत, आयुष्मान आरोग्य मंदिर के माध्यम से उप स्वास्थ्य केंद्रों (एसएचसी) और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (पीएचसी) को सुदृढ़ करके व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा प्रदान की जाती है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, एनएचएम के तहत, 'निःशुल्क निदान सेवा पहल' कार्यक्रम का समर्थन करता है। आवश्यक दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने और सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं हेतु आने वाले रोगियों के आउट-ऑफ-पॉकेट व्यय (ओओपीई) को कम करने के लिए, सरकार ने एनएचएम के तहत फ्री ड्रग सर्विस इनिशिएटिव प्रारंभ की है।

(घ): कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय वर्ष 2015-16 से पर ड्रॉप मोर क्रॉप (पीडीएमसी), केंद्र द्वारा प्रायोजित योजना का क्रियान्वयन कर रहा है। पीडीएमसी सूक्ष्म सिंचाई अर्थात ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली के माध्यम से खेत स्तर पर जल-उपयोग दक्षता बढ़ाने पर केंद्रित है। सूक्ष्म सिंचाई से पानी की बचत के साथ-साथ उर्वरक उपयोग (फर्टिगेशन के माध्यम से), श्रम व्यय, अन्य इनपुट लागत में कमी आती है और इस प्रकार किसानों की समग्र आय में वृद्धि होती है। इसके अलावा, नीति आयोग ने वर्ष 2021 के दौरान पीडीएमसी योजना पर एक मूल्यांकन अध्ययन किया, जिसमें पता चला कि सूक्ष्म सिंचाई को अपनाने से विभिन्न राज्यों में विभिन्न फसलों की उत्पादकता 9% से 100% तक बढ़ी है।

इसके अतिरिक्त, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद स्थान-विशिष्ट उत्पादन और सुरक्षा प्रौद्योगिकियों के साथ-साथ उच्च उपज देने वाली, जलवायु अनुकूल और पोषण से भरपूर क्षेत्रीय फसल किस्मों के विकास पर बल दे रहा है। विकसित उन्नत किस्मों, उत्पादन और संरक्षण प्रौद्योगिकियों को आउटरीच एक्टिविटियों जैसे फसल मौसम के दौरान प्रशिक्षण/संवेदीकरण कार्यक्रम, ऑन फार्म परीक्षण और फ्रंटलाइन प्रदर्शन, डायग्नोस्टिक फील्ड विजिट और फील्ड फ्रेंड्स कार्यक्रमों के साथ-साथ सोशल मीडिया प्लेटफार्मों के माध्यम से इन्हें बड़े पैमाने पर अपनाए जाने हेतु किसानों के बीच प्रचारित किया जा रहा है।

कृषि में जलवायु परिवर्तन चुनौतियों और प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव के समाधान के लिए, पिछले दस वर्षों (2014-24) के दौरान 537 चरम जलवायु सहिष्णु किस्मों को विकसित और वाणिज्यिक खेती के लिए अधिसूचित किया गया है, जिनमें से 318 किस्में सूखा सहिष्णु/नमी तनाव सहिष्णु/जल दबाव सहिष्णु/सीमित जल अनुकूल/कम वर्षा; 81 बाढ़/जलमग्नता/जल जमाव/गहरे जल सहिष्णु; 69 लवणता/मध्यम लवणता/क्षारीयता/सोडा मिट्टी सहिष्णु; 51 हीट स्ट्रैस/उच्च तापमान सहिष्णु और 18 शीत/पाला/शीतकालीन शीतलता सहनशील हैं।

अनुबंध

पश्चिम बंगाल में कृषि उत्पादकता की वर्तमान स्थिति और राज्य की अर्थव्यवस्था में योगदान देने वाली प्रमुख फसलें

फसल	मौसम	उपज (किग्रा/हेक्टेयर)
		2023-24
चावल	खरीफ	2874
	ग्रीष्म	3617
	कुल	3064
पटसन	खरीफ	2894
मक्का	खरीफ	3974
	रबी	6872
	ग्रीष्म	7239
	कुल	6633
गन्ना	खरीफ	66583
रेपसीड एवं सरसों	रबी	1244
गेहूं	रबी	3127
मूंगफली	खरीफ	1560
	रबी	1902
	ग्रीष्म	3280
	कुल	3060
मेस्टा	खरीफ	2448
मसूर	रबी	913
अन्य दलहन	खरीफ	683
	रबी	1191
	कुल	1188
चना	रबी	1242
उड़द	खरीफ	737
	रबी	791
	कुल	739

*****